

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉची /हजारीबाग/यॉ०  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन  
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : २५.०३.२०२१

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 19 कार्यालयों को विभिन्न मदों में  
कुल रु 32.76 लाख (बत्तीस लाख छिह्न्तर हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में  
दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया  
जाता है:-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन / 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	32.760

कुल आवंटित राशि – रुपये बत्तीस लाख छिह्न्तर हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 बजट उपबंध राशि 11675.14 लाख (एक सौ सोलह करोड़ पचहत्तर लाख चौदह हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३, १३६२ दि. ०९.०५.२०१६ २७४७(वि०) दि. ०९.०५.२०१६ के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त रथानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापर्ण Online किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन हार्ड कापी में Access No एवं Revoke/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैन्युअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित रथानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य रथानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।  
अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 343

रॉची, दिनांक :- 25.03.2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. -हिनूरॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/हजारीबाग/जामताड़ा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड़/गुमला/चाईबासा/साहेबगंज/गोड़ा सहित राज्य के भूमि कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 343

रॉची, दिनांक :- 25.03.2021

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वागिज्ञान लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना

पत्रांक..... 343 दिनांक..... 25-03-202  
का अनुलग्नाक

I 2018/2019

क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2020-2021	वित्तीय शीर्ष-01-योग्य एवं भर्ते	वित्तीय शीर्ष-02-		वित्तीय शीर्ष-03-शासानीक याय		वित्तीय शीर्ष-04-	वित्तीय शीर्ष-05-	राशि-लाख रुपये में	
			वित्तीय शीर्ष-01-योग्य एवं भर्ते	वित्तीय शीर्ष-02-	वित्तीय शीर्ष-03-शासानीक याय	वित्तीय शीर्ष-04-				
0	कार्यालय का नाम	देशन	15.11.2020 के पूर्ति का वित्तीय शीर्ष-01-योग्य	एलटीटीसी०१ वित्तीय शीर्ष-02-	देशन याय	कार्यालय कर्मचारी	लिखाया दरे, आपूर्ति एवं सामग्री	दूसामा० दूसामा०	वादी	वित्तीय शीर्ष-03-शासानीक याय
1	पिप्रवाकोड	4952701030010	4952701030010	4952701030011	4952701030011	4952701030011	4952701030011	4952701030011	4952701030011	4952701030011
1	मुख्य अधिकारी देवधर	पूर्ति का आवंटन वित्तीय शीर्ष-01-योग्य	0.000	0.000	0.000	1.300	1.850	0.000	0.900	0.350
1	जलसेसाधन विनाग, मुख्य अधिकारी	पूर्ति का आवंटन वित्तीय शीर्ष-01-योग्य	130.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.250
2	जलसेसाधन विनाग, रोचना कुल आवंटन	पूर्ति का आवंटन वित्तीय शीर्ष-01-योग्य	158.000	0.000	0.400	0.700	1.850	0.000	0.400	0.350
3	मुख्य अधिकारी, रोचना कुल आवंटन	पूर्ति का आवंटन वित्तीय शीर्ष-01-योग्य	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000
4	जलसेसाधन विनाग कुल आवंटन	पूर्ति का आवंटन वित्तीय शीर्ष-01-योग्य	28.000	0.000	0.000	0.200	1.400	0.000	0.300	0.000
5	जलसेसाधन विनाग कुल आवंटन	पूर्ति का आवंटन वित्तीय शीर्ष-01-योग्य	28.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000
6	जलसेसाधन विनाग कुल आवंटन	पूर्ति का आवंटन वित्तीय शीर्ष-01-योग्य	147.000	0.000	0.300	0.700	0.950	0.000	0.200	0.150
7	लापाकां अंचल, देवधर	पूर्ति का आवंटन वित्तीय शीर्ष-01-योग्य	92.000	0.000	0.000	0.200	0.600	0.000	0.250	0.150
8	आयोजन युग्म नियंत्रण एवं नो प्रमदल, देवधर	पूर्ति का आवंटन वित्तीय शीर्ष-01-योग्य	0.000	0.000	0.000	0.820	0.000	0.000	0.000	0.000
7	लापाकां अंचल, देवधर	पूर्ति का आवंटन वित्तीय शीर्ष-01-योग्य	155.000	0.000	0.500	1.500	0.900	0.000	0.250	0.200
8	आयोजन युग्म नियंत्रण एवं नो प्रमदल, देवधर	पूर्ति का आवंटन वित्तीय शीर्ष-01-योग्य	199.000	0.000	0.000	0.200	0.650	0.000	0.000	0.275
7	लापाकां अंचल, देवधर	पूर्ति का आवंटन वित्तीय शीर्ष-01-योग्य	92.000	0.000	0.000	0.200	0.600	0.000	0.250	0.125
8	आयोजन युग्म नियंत्रण एवं नो प्रमदल, देवधर	पूर्ति का आवंटन वित्तीय शीर्ष-01-योग्य	199.000	0.000	0.000	0.200	0.950	0.000	0.275	0.000

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अमिं०)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभिः)

(प्रशात दुमार  
सचिव

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष 2020-2021	विस्तृत शीर्ष-01- वेतन एवं भवते		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय		विस्तृत शीर्ष-04- नोटरागाड़ियाँ अन्य व्यय		विस्तृत शीर्ष-05- इंधन एवं भवते	
		देतना	देतना	कार्यालय व्यय	कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं समग्री	दूरभाष वर्दी	विस्तृत व्यय	कुल योग
0	कार्यालय का नाम	देतना	देतना	कार्यालय व्यय	कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं समग्री	दूरभाष वर्दी	विस्तृत व्यय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	गणा पास नहर प्रमंडल, साहेबगंज	देतना	देतना	देतना	देतना	देतना	देतना	देतना	देतना
10	गुण नियन्त्रण प्रमंडल, शैक्षी	पूर्व का आवंटन	265,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,050	0,375
11	जालपथ प्रमंडल सं.-2, हजारिखाग	पूर्व का आवंटन	162,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,200	0,400
12	पुनरान्वित प्रमंडल, पुनरासी शिविर-देवधर	पूर्व का आवंटन	229,000	0,000	0,400	0,600	1,000	0,200	0,150
13	विशय मू-अर्जन पद्धति, देवधर	पूर्व का आवंटन	144,480	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,400
14	सिंचाई प्रमंडल गोडाड़ी, शिविर-महाना	पूर्व का आवंटन	144,460	0,000	0,000	1,000	0,700	0,200	0,200
15	सिंचाई प्रमंडल, जस्तीहि	पूर्व का आवंटन	237,000	0,000	0,000	2,100	0,700	0,035	0,200
16	सिंचाई प्रमंडल, देवधर	पूर्व का आवंटन	237,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,150
17	सिंचाई प्रमंडल, पाल्कुड़	पूर्व का आवंटन	134,000	0,000	0,000	0,800	0,750	0,200	0,500
		कुल आवंटन	134,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,200	0,500
								0,000	0,200
									137,050

343 | 26.03.2021

२८  
 (शोधन्द्र प्रसाद)  
 उप सचिव (अमित)

343  
 (अशाक कुमार दस्त)  
 संयुक्त सचिव (अमित)

जून 2021  
 (प्रशासनिक व्यय का विवरण)

वित्तीय वर्ष 2020-2021		विसर्त शीर्ष-01-मैत्रन एवं शर्तों शीर्ष-02- याचा व्यय		विसर्त शीर्ष-03-प्रशारणिक व्यय		विसर्त शीर्ष-04- मौद्रिकाडियां आन्य व्यय		विसर्त शीर्ष-05- मौद्रिकाडियां आन्य व्यय							
क्रमांक	कार्यालय का नाम	वेतन	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किरणादौ- कर	आपूर्ति एवं शानधी	दूसरांश	वर्दी	विषुवत व्यय	विषुवत प्रमाण					
1	2	विपक्र कोड	70101 4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	सिवाई प्रमंडल, बडहवाचा पूर्व का आवंटन	115,000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.200	0.000	0.125	0.500	0.000	0.000	0.100	116,525	
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	1,820	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,820	
19	सिवाई प्रमंडल, पूर्व का आवंटन	115,000	0.000	2,000	0.400	0.000	0.200	0.000	0.125	0.500	0.000	0.000	0.100	118,345	
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.200	0.000	0.450	0.150	0.800	0.000	0.000	243,700	
	रोकी आवंटन	241,000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.150	0.450	0.000	0.000	0.250	243,950	
	आतिरिक्त आवंटन का योग	21,270	0.000	0.000	4,090	4,400	0.300	0.000	0.100	0.000	2,200	0.400	32,760		

नोट: वित्त विभाग के पांचक 11/विविध-14/2010-39/वजट दिन 04.02.13 के आलोक में विषुवत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का वकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपक्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमत्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये बत्तीस लाख छिहतार हजार मात्र



(प्रशांत कुमार दास)  
सचिव (अधि. )



(प्रशांत कुमार दास)  
सचिव

343 | 28.03.2021